भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3612

उत्तर देने की तारीख : 15 जुलाई, 2019

सेवा भोज योजना

3612. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री बिद्युत बरण महतो :
श्री रामशंकर कठेरिया :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्रीमती प्रतिमा भौमिक :
श्री रवि किशन :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने संपूर्ण देश में 'सेवा भोज योजना' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के उद्देश्य क्या हैं और योजना के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सहायता के मानदंड और प्रमात्रा सहित इसका संस्थान-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत खाद्य वस्तुओं की संख्या बढ़ाने तथा और अधिक सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : जी हां।

(ख) : सेवा भोज योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है जिसके अंतर्गत जनता/श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन वितरित करने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर धर्मार्थ/धार्मिक

संस्थाओं द्वारा भुगतान किए गए सीजीएसटी और केन्द्र सरकार की आईजीएसटी की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
स्कीम में शामिल विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियां हैं (i) घी (ii) खाद्य तेल (iii) चीनी/बूरा/गुड़ (iv) चावल (v) आटा/मैदा/रवा/सूजी और (vi) दलहन।

सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारों, मंदिरों, धार्मिक आश्रमों, मस्जिदों, दरगाहों, गिरजाघरों, मठों, बौद्ध मठों आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त 'प्रसाद' या मुफ्त भोजन या मुफ्त 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इन धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं द्वारा कम से कम विगत 3 वर्षों से एक कैलेंडर माह में कम से कम 5000 व्यक्तियों को 'प्रसाद', 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) के रूप में मुफ्त भोजन वितरित किया जा रहा हो।

(ग) : **वित्तीय सहायता के लिए मानदंड :**

धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23खखक) के उपबंधों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत शामिल या आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के उपबन्धों के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या सोसाइटी या कारपोरेट निकाय या संगठन या संस्थान, अथवा धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25, जैसा भी मामला हो, के उपबन्धों के तहत बनाई गई तथा पंजीकृत कंपनी, अथवा उस समय में प्रवृत्त किसी कानून के तहत धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, अथवा धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी सेवा भोज योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है।

ii) आवेदक सार्वजनिक न्यास या सोसायटी या कारपोरेट निकाय या संगठन या संस्थान, जैसा भी मामला हो, मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों, वक्फों, गिरजाघरों, यहूदी उपासना गृहों, पारसी पूजाघरों या धार्मिक उपासना के अन्य सार्वजनिक स्थलों सहित सार्वजनिक, धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों या धर्मार्थ दान के माध्यम से नि:शुल्क एवं बिना किसी भेदभाव के भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारे के मुफ्त तथा परोपकारी वितरण के धर्मार्थ/धार्मिक कार्यकलापों में अवश्य शामिल हो।

iii) किसी एक कैलेंडर माह में कम से कम 5000 व्यक्तियों को मुफ्त भोजन, लंगर तथा प्रसाद वितरित करने वाले संस्थान/संगठन इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

iv) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी, जो मुफ्त भोजन वितरित करने के प्रयोजन से केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं।

v) विदेशी अभिदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उपबंधों के अंतर्गत अथवा केन्द्र/राज्य के किसी अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अंतर्गत काली सूची में शामिल किए गए संस्थान/संगठन इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

सहायता की राशि:

प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता तभी उपलब्ध कराई जाएगी, जहां संस्थान द्वारा नीचे सूचीबद्ध की गई सभी कच्ची खाद्य सामग्रियों या इनमें से किसी एक पर जीएसटी का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो :

i) घी
ii) खाद्य तेल
iii) चीनी/बूरा/गुड़
iv) चावल
v) आटा/मैदा/रवा/सूजी
vi) दलहन

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।